संख्या– / XVIII(II) / 2021–18(12) / 2017

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चम्पावत।

राजस्व अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनाकः** 19 **मई, 2021**

विषय– सिविल जज (जू0डि0) लोहाघाट के आवासीय / अनावसीय भवनों के निर्माण हेतु आवंटित भूमि का प्रयोजन बदलकर सेशन हाउस लोहाघाट के निर्माण हेतु किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–3282 / सात–सि0ज0 (जू0डि0)–भूमि आ0 / 2018–19 दिनांक 29 मार्च, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासनादेश संख्या–187 / 18(2) / 2008, दिनांक 06 मई, 2008 द्वारा जनपद चम्पावत के लोहाघाट में तहसील लोहाघाट के अन्तर्गत सिविल जज जूनियर डिवीजन के आवासीय एवं अनावसीय भवनों के निर्माण हेतु लोहाघाट खाम के खसरा नं0–936, 941, 942 से 952, 959, 960, 961, 962, 965, 966, 967 से 969 मध्ये की कुल 15 नाली भूमि में से 02 नाली भूमि जिसमें मौके पर राजकीय पेयजल टंकी तथा गौशाला निर्मित है, को छोड़कर 13 नाली भूमि न्याय विभाग को कतिपय शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरित की गयी थी, का प्रयोजन बदलकर "सेशन हाउस लोहाघाट के निर्माण हेतु" किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–187 / 18(2) / 2008, दिनांक 06 मई, 2008 द्वारा जनपद चम्पावत के लोहाघाट में तहसील लोहाघाट के अन्तर्गत सिविल जज जूनियर डिवीजन के आवासीय एवं अनावसीय भवनों के निर्माण हेतु लोहाघाट खाम के खसरा नं0–936, 941, 942 से 952, 959, 960, 961, 962, 965, 966, 967 से 969 मध्ये की कुल 15 नाली भूमि में से 02 नाली भूमि जिसमें मौके पर राजकीय पेयजल टंकी तथा गौशाला निर्मित है, को छोड़कर हस्तान्तरित 13 नाली भूमि का प्रयोजन बदलकर **"सिविल जज जूनियर डिवीजन के आवासीय एवं अनावसीय भवनों के निर्माण हेतु"** के स्थान पर **"सेशन हाउस लोहाघाट के निर्माण हेतु"** किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3– उपर्युक्त ाासनादेश संख्या–187 / 18(2) / 2008, दिनांक 06 मई, 2008 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शासनादेश की अन्य शर्ते / प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव।

...2

संख्या– 488/XVIII(II)/2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
4– महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
5– जिला न्यायाधीश, चम्पावत।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कृष्ण सिंह)
संयुक्त सचिव।